



झारखण्ड विधान सभा

षष्ठम् झारखण्ड विधान सभा

षष्ठम् (मानसून) सत्र

कार्य सूची

11 अगस्त , 2026

11:00:00

1. प्रश्नोत्तर

- (1) सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (2) अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।

2. शून्यकाल की सूचनाएँ।

3. ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य

- (1) श्री प्रदीप यादव, संवि०सं०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक-07.08.2026 एवं 10.08.2026 से स्थगित)

- (2) श्रीमती श्वेता सिंह संवि०सं० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (उद्योग विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक-10.08.2026 से स्थगित)

- (3) डॉ० लुईस मराण्डी एवं श्री विकास कुमार मुण्डा संवि०सं० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक-10.08.2026 से स्थगित)

- (4) **श्री चन्द्रदेव महतो** संविंस० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (**उद्योग विभाग**) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक-10.08.2026 से स्थगित)

- (5) **श्री हेमलाल मुर्मू** संविंस० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (**राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग**) की ओर से वक्तव्य ।
- (6) **श्री अमित कुमार** संविंस० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (**ग्रामीण कार्य विभाग**) की ओर से वक्तव्य ।
- (7) **श्री मनोज कुमार यादव** संविंस० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (**पथ निर्माण विभाग**) की ओर से वक्तव्य ।
- (8) **श्री भूषण बडा एवं श्री राजेश कच्छप** संविंस० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (**पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग**) की ओर से वक्तव्य ।
- (9) **सर्वश्री नमन बिक्सल कोनगाडी, रामेश्वर उराँव एवं श्री रामचन्द्र सिंह** संविंस० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (**वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**) की ओर से वक्तव्य ।

4. समितियों का गठन

- (1) झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

5. सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

- (1) मंत्री प्रभारी वित्त मैं, भारत का संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अनुसरण में, भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च, 2023 को समाप्त हुए अवधि के लिए राज्य राजस्व प्रतिवेदन (झारखण्ड सरकार, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-04 {निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा-राजस्व})।
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का झारखण्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन पर प्रतिवेदन (झारखण्ड सरकार, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-2 {(झारखण्ड सरकार, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-2 {(निष्पादन लेखा परीक्षा)})}।
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखा परीक्षा (राजस्व) पर प्रतिवेदन (झारखण्ड सरकार, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-1 (अनुपालन लेखा परीक्षा-राजस्व))।
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए अवधि के लिए झारखण्ड सरकार, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-3 (राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन)}।
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का झारखण्ड में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन और झारखण्ड में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन पर प्रतिवेदन, वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या-5 (संयुक्त निष्पादन लेखा परीक्षा-सिविल), जिसे विधान-सभा के समक्ष रखने हेतु भारत

सरकार के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने माननीय राज्यपाल महोदय के पास भेजा है, को सदन पटल पर रखता हूँ।

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय सदन में उपस्थापित किया जायेगा।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि "विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उन पर लोक लेखा समिति द्वारा परिनिरीक्षण किये जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।"

- (2) झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

6. याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

7. झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2026

- (1) प्रभारी मंत्री वित्त श्री राधाकृष्ण किशोर, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2026" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (2) प्रभारी मंत्री वित्त श्री राधाकृष्ण किशोर "झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2026" को पुरःस्थापित करेंगे।
- (3) प्रभारी मंत्री वित्त श्री राधाकृष्ण किशोर, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2026" पर विचार हो।
- (4) प्रभारी मंत्री वित्त श्री राधाकृष्ण किशोर, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2026" स्वीकृत हो।

8. अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

राँची - 834004
दिनांक: 11 अगस्त 2026

रंजीत कुमार
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा